



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 152 राँची, बुधवार,

6 अप्रैल, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

31 मार्च, 2022

संख्या-12/आशु०से०-13-02/2021-2113--झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित 2015) के नियम-13 में प्रदत्त शक्ति के अधीन नियुक्ति हेतु निम्नांकित संशोधन नियमावली गठित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार

(i) यह नियमावली झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 कहलाएगी ।

(ii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं०-8297 दिनांक-23.12.2011 के द्वारा अधिसूचित झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित 2015) के नियम-6(2), में संशोधनोंपरांत निम्नवत् प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :-

नियम	पूर्व का प्रावधान	प्रतिस्थापित प्रावधान
6(2)	आशुलिपिक श्रेणी में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी। भर्ती प्रक्रिया कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुशंसित होगी।”	आशुलिपिक श्रेणी में भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष होगी। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना एवं अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

3. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा नियमावली, 2011 (यथा संशोधित 2015) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत् रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल.

सरकार के प्रधान सचिव।
